मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 210.00 लाख का व्यय संभावित है ।

माननीय उच्च न्यायालय के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 577.77 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,87,77,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 7.20 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,20,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 3

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 45,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 4

राज्य में 50 विभिन्न न्यायालयों (एडीजे कोर्ट, लेबर कोर्ट, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 का न्यायालय एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 का न्यायालय)) की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टॉफ सहित कुल 353 पदों के सृजन हेतु ₹ 2021.89 लाख का व्यय संभावित है ।

बसना, जिला-महासमुंद में व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 की स्थापना के लिए 07 पदों के सृजन हेतु ₹ 40.98 लाख का व्यय संभावित है ।

जिला एवं सत्र न्यायालय, धमतरी की स्थापना के लिए 27 पदों के सृजन हेतु ₹ 53.83 लाख का व्यय संभावित है ।

नवनिर्मित 05 राजस्व जिला सारंगगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर, सक्ती एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए 35 पदों के सृजन हेतु ₹ 208.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹23,25,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 5

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 7

07 फास्ट ट्रैक कोर्ट (पाक्सो) की स्थापना के लिए 63 पदों के सृजन हेतु ₹ 289.66 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,89,66,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 8

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक कोर्ट (पाक्सो) के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 32.00 लाख का व्यय संभावित है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक कोर्ट (पाक्सो) के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 192.38 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,24,38,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 9

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक कोर्ट (पाक्सो) के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 14.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 14,40,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 10

सी.बी.आई. न्यायालय के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 7.77 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,77,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 11

कॉमर्शियल कोर्ट के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण (एयर कंडीशनर, वाटर कूलर एवं फोटोकॉपियर) क्रय हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

कॉमर्शियल कोर्ट के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 11.27 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 16,27,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 12

17 परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए 85 अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु ₹ 196.88 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,96,88,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 13

17 परिवार न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 40.00 लाख का व्यय संभावित है ।

17 परिवार न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 298.02 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 3,38,02,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 14

17 परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 15

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण सामग्री क्रय हेतु ₹ 1376.90 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 13,76,90,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 16

नवीन जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सक्ती में निर्वाचन शाखा के लिए 20 (प्रति जिला 04 पद) पदों के सृजन हेतु ₹ 161.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,61,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 17

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों (नवगठित जिलों सहित) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 27.00 लाख का व्यय संभावित है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों (नवगठित जिलों सहित) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 35.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 62,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 18

राज्य विधानमंडल निर्वाचन प्रभार के लिए वेतन भत्ते मद हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 19

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण के स्थापना में 05 पदों के सृजन हेतु ₹ 18.58 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 18,58,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 20

राज्य प्राधिकरण एवं अधीनस्थ 23 जिला प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए अनुभाग अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स, लेवल-10) एवं सहायक ग्रेड-1 (वेतन मैट्रिक्स, लेवल-7) के 15-15 पदों के सृजन हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 21

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ 23 जिला प्राधिकरण एवं 66 तालुक समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं नवीन जिला प्राधिकरणों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्री के क्रय हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 22

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ 23 जिला प्राधिकरण एवं 66 तालुक समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं नवीन जिला प्राधिकरणों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 9.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 23

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 3,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 24

माननीय उच्च न्यायालय स्थापना में रजिस्ट्री के अधिकारियों के लिए 07 नग वाहनों के क्रय हेतु ₹ 45.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 45,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 25

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय हेतु नग वाहन क्रय हेतु ₹ 6.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 6,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 26

महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर के लिए 04 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 30,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विशेष न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण क्रय हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

विशेष न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 98.76 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,10,76,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 9.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 3

विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश के लिए 02 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 15,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

वोटिंग मशीन ईवीएम एवं वीवीपीएटी के उचित भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण हेतु ₹ 464.49 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,64,49,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 10 सिविल कोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायालय कक्ष के निर्माण कार्य को परीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है:-

1. कमर्शियल कोर्ट भवन का निर्माण लागत राशि ₹ 780.73 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
2. जिला सक्ती के डभरा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 02 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 769.27 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
3. जिला जांजगीर-चांपा के अकलतरा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 03 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 745.24 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
4. जिला सुकमा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का निर्माण लागत राशि ₹ 699.40 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
5. जिला सक्ती में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 06 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 1381.45 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है।
6. जिला सक्ती के पामगढ़ में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 02 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 820.95 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
7. जिला बेमेतरा के नवागढ़ में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 01 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 672.69 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
8. जिला जांजगीर-चांपा के मालखरौदा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 01 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 720.25 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
9. जिला जांजगीर-चांपा के चांपा में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 02 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 800.91 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।
10. जिला जांजगीर-चांपा के जैजैपुर में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में 01 नग अतिरिक्त न्यायालय कक्ष का निर्माण लागत राशि ₹ 720.64 लाख तथा वर्ष 2023-24 में राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।